राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2373/2024

डॉ. यतीन्द्र कुमार सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (लोक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय पेशंन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पद पर रहते हुए दिनांक 30.06.2012 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गये। पीपीओ आदेश सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया था। (अनुलग्नक–1) सेवानिवृत्ति के बाद अपीलार्थी को डीएसीपी योजना के तहत आदेश दिनांक 05.06.2014 (अनुलग्नक–2) द्वारा अतिरिक्त निदेशक के पद पर (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की दिनांक 30.06.2012 को सेवानिवृत्ति के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया, जो कि सेवानिवृत्ति के अगले दिन 1 जुलाई 2012 से दिया जाना था। अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ इस आधार पर नहीं दिया कि वह 1 जुलाई 2012 से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं जबकि उन्होंने सेवानिवृत्ति की तारीख पर एक वर्ष पूरा कर लिया था और उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा जाना चाहिए। अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति की तिथी यानी दिनांक 30.

06.2012 को वर्ष पूरा कर लिया। इसलिए अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 14 के अनुसार वह एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है। P. Ayyamperumal (Supra) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार कर्मचारियों ने एक वर्ष पूरा कर लिया था। 30 जून को सेवा का पूरा एक वर्ष की पूरी सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। इस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका है। इसके बाद गोपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले का पालन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.07.2023 को समान निर्णय पारित किया। अपीलकर्ता ने एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ विस्तारित करने हेतु दिनांक 13.07.2024 को पंजीकृत डाक के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया गया। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील स्वीकर की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2012 से एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ दिए जावें एवं सेवानिवृत्ति लाभ/ग्रेच्युटी राशि को संशोधित किया जाए और उसका बकाया का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे। पीपीओ/जीपीओ/पेंशन के कम्युटेशन को भी एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के बाद तदनुसार संशोधित किया जाए और सेवानिवृत्ति की तिथी से 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि

में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)